18/8/25 प्रार्थी/वादी कमल के आवेदन पत्र वास्ते निष्पादन पर आज पेशी पर पूर्व पेश हुए वादी कमल एवं उपस्थित आए। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के आवेदन पत्र पुनः वाद पत्र पेश किए जाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र नोट पेज में लिखित किया जाने बाबत निवेदन किया कि उनकी प्रकरण के पश्चात के महालोक अदालत की आज्ञा से प्रेषित होकर सामीकरण हो गया है। अतः सामीकरण वादी वाद पत्र में आगे कार्यवाही न होना चाहता है। इस प्रकार आवेदन प्रार्थी/वादी स्वीकार किया जाता पुनः वाद पत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र को लिखित खारिज किया जाता है। वादी कमल के आदेशानुसार हस्ताक्षर, नाम तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड की फोटो प्रति प्राप्त की गई। पहचान एवं की मूल प्रति के ली तथा आदेशानुसार हस्ताक्षर किए। अतः वकील वादी एवं वादी के अनुरोध पर वाद वादी पुनः नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए नोट पेज में लिखित किया जाता है। फाइल नियमानुसार होकर बाद कार्यवाही आवश्यक नहीं है। निर्णय आज दिनांक 18/8/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर